राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

वार्षिक प्रतिवेदन (1998–99)

परिचय

औद्योगीकरण के सतत विस्तार तथा जनसंख्या में लगातार वृद्धि के फलस्वरूप जल एवं वायु प्रदूषण की समस्या व्यापक स्वरूप धारण करती जा रही है । इस संदर्भ में समुचित पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करना और अनेकानेक स्त्रोतों से होने वाले प्रदूषण पर पर्याप्त नियंत्रण रखना, आर्थिक विकास से संबंधित सभी नीतियों का एक अत्यन्त आवश्यक आयाम बन गया है । तत्संबंधी विभिन्न प्रयासों में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भी अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहा है ।

केन्द्रीय जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 में निहित दायित्वों के निर्वहन में, राज्य सरकार द्वारा फरवरी 1975 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का गठन किया गया । मण्डल का मुख्य उद्देश्य जल एवं वायु प्रदूषण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का नियंत्रण एवं नियमन सुनिश्चित करना है। मण्डल मूलतः निम्नलिखित अधिनियमों एवं इन अधिनियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचनाओं तथा नीति – निर्देशो की अनुपालना कराने के लिए उत्तरदायी है :–

1– जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)अधिनियम,1974
2– जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)उपकर अधिनियम,1977
3– वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981
4– पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
5– लोकदायित्व बीमा अधिनियम, 1991

मण्डल का गठन

मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय जल अधिनियम में तत्संबंधी वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया गया है । मण्डल में पूर्णकालिक अध्यक्ष के अतिरिक्त एक पूर्णकालिक सदस्य – सचिव तथा 15 अंशकालिक सदस्य मनोनीत हैं । वर्ष 1998–99 के दौरान मण्डल का गठन निम्नानुसार रहा :–

1–	श्री के0 एल0 मीना, अध्यक्ष	14–12–98 तक
	श्री बी0 पी0 आर्य, अध्यक्ष	14–12–98 से
2–	श्री बी0 के0 सुराणा, सदस्य – सचिव	31–8–98तक
3–	विशेषाधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, पर्यावरण विभाग	
4–	उप शासन सचिव, वित्त (व्यय –1)विभाग	
5–	आयुक्त/ निदेशक, उद्योग विभाग, या उनके प्रतिनिधि	
6–	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं , या उनके प्रतिनिधि	25–9–98 तक
7–	मुख्य नगर नियोजक, या उनके प्रतिनिधि	25–9–98 तक

—	मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	
		26—9—98 से
8—	महापौर, नगर निगम, जयपुर	
9—	महापौर, नगर निगम, जोधपुर	
10—	अध्यक्ष, नगर परिषद,पाली	
11—	अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, कोटा, या उनके प्रतिनिधि	
12—	अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, उदयपुर, या उनके प्रतिनिधि	
13—	मुख्य अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल	
14—	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम	
15—	श्री चन्द्र सैन, रामगंज मण्डी	25—9—98 तक
	श्री जी0 के0 गर्ग, जोधपुर	26—9—98 से
16—	श्री के0 भागीरथ शर्मा, जयपुर	25—9—98 तक
	श्री जी0 डी0 अग्रवाल, चित्रकूट (म0प्र0)	26—9—98 से
17—	श्री मेघराज लोहिया, जोधपुर	26—9—98 से

मण्डल का कार्यक्षेत्र समूचा प्रदेश है । इसका मुख्यालय जयपुर में है तथा जयपुर सहित कुल 9 स्थानों पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं । मुख्यालय पर स्थापित केन्द्रीय प्रयोगशाला के अतिरिक्त राज्य के चार अन्य स्थानों पर मण्डल की क्षेत्रीय प्रयोगशालायें भी स्थापित की गई हैं । मण्डल में विभिन्न स्तरों के कुल मिलाकर लगभग 200 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं जो तकनीकी, विधि, लेखा एवं सामान्य संवर्गों में विभाजित हैं ।

वर्ष 98—99 के दौरान सम्पूर्ण मण्डल की एक बैठक दिनांक 9.3.99 को आयोजित की गई ।

मण्डल की गतिविधियॅा।

सम्मति प्रबंधन, परिसंकटमय अपशिष्टों हेतु प्राधिकार, उद्योगों सेयु उत्सर्जित प्रदूषित जल एवं वायु की जांच , पर्यावरण संरक्षण के प्रति चेतना एवं जल तथा वा अधिनियम में उल्लिखित कृत्यों का निर्वहन मण्डल की

प्रमुख गतिविधियॅा हैं । वर्ष 1998–99 के दौरान मण्डल की तत्संबंधी कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है: –

सम्मति प्रबंधन

सम्मति की प्रकृति	1.4.98 को लंबित आवेदन पत्रों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	योग	वर्ष के दौरान निष्पादित आवेदन पत्रों की संख्या	31.3.99 को लंबित आवेदन पत्रों की संख्या
स्थापना	37	845	882	824	58
संचालन (जल अधिनियम)	90	1630	1720	1538	182
संचालन (वायु अधिनियम)	112	1448	1560	1414	146

परिसंकटमय अपशिष्ट प्राधिकार प्रबंधन

परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन)नियम, 1989 के अन्तर्गत प्राधिकार संबंधित कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है :–

1.4.98 को लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या	75
वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	55
योग	130
परिसंकटमय अपशिष्ट का हथालन करने वाली चिन्हित की गई कुल इकाइयॅा	332
परिसंकटमय अपशिष्ट के निष्पादन हेतु स्वयं के परिसर में सुरक्षित निष्पादन स्थल विकसित करने वाली इकाइयों की संख्या	3
ऐसी इकाइयों की संख्या जहां परिसर में सुरक्षित निष्पादन– स्थल विकसित करने का कार्य प्रगति पर था	4

प्रदूषित जल एवं वायु की जांच

वर्ष के दौरान कुल 4742 निरीक्षण किये गये । इस दौरान एकत्रित एवं विश्लेषित विभिन्न प्रकार के नमूनों का विवरण निम्नानुसार है :–

नमूने का प्रकार	विश्लेषित नमूनों की संख्या
उच्छिष्ठ	1076
उत्सर्जन	1127
मृदा	3
वायु	22420
जल	821
अन्य	177

जनचेतना

पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनचेतना जाग्रत करने एवं प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निराकरण हेतु मण्डल में **प्रदूषण जागरूकता एवं सहायता केन्द्र** कार्यरत है ।

इस केन्द्र में वर्ष के दौरान कुल 117 शिकायतें प्राप्त हुई । इनमें से 34 शिकायतों के संबंध में अंतिम कार्यवाही वर्ष के दौरान ही पूर्ण की गई, जबकि शेष शिकायतों में निरीक्षण, जांच इत्यादि कार्रवाई विभिन्न स्तरों पर जारी थी ।

इस केन्द्र द्वारा विभिन्न सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, मण्डल में आगन्तुकों, उद्यमियों इत्यादि को स्टिकर, पैम्फलेट्स, पोस्टर इत्यादि पर्यावरण विषयक सामग्री का वितरण किया गया

दिनांक 16 सितम्बर 1998 को अन्तर्राष्ट्रीय ओज़ोन परत संरक्षण दिवस के अवसर पर मण्डल द्वारा जयपुर में एक सेमीनार का आयोजन किया गया ।

वर्ष के दौरान मण्डल द्वारा निम्न तीन दस्तावेजों का प्रकाशन किया गया :–

1– एम0 आई0 ए0 अलवर का पर्यावरणीय आकलन ।

2– सांगानेर कस्बे एवं आसपास के क्षेत्रों में भूजल की गुणवत्ता का आकलन

3– झालाना एवं जयपुर शहर तथा आसपास के क्षेत्रों की परिवेशीय वायु का पर्यावरणीय आकलन

अन्य

1– वर्ष के दौरान निम्न उपचार संयंत्रों की दक्षता का आकलन किया गया:–

(अ) पाली का संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र

(ब) भीलवाड़ा में स्थित चार प्रोसेस हाउस

(स)जयपुर, कोटा, झुंझुनूं एवं चित्तौडगढ़, प्रत्येक में स्थित एक–एक उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र

2– इसके अतिरिक्त मण्डल द्वारा निम्न कार्य भी सम्पादित किये गये :–

(1) जयपुर में मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का आकलन

(2) जयपुर की जलमहल झील के शुद्धीकरण का आकलन

(3)पर्यावरणीय अंकेक्षण विपत्रों का आकलन एवं प्रमाणीकरण

(4)जयपुर में सीवेज एवं ठोस अपशिष्ट निष्पादन के पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन

(5)जगतपुरा (जयपुर)में ठोस अपशिष्ट निष्पादन के पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन

(6)कोटा तापीय ऊर्जा संयंत्र की फ्लाई एश (राख) का मानव स्वास्थ्य पर एवं कृषि पर प्रभाव का अध्ययन

(7) फ्लाई एश का कृषि में उपयोग की सम्भावना

(8) मारबल स्लरी अपशिष्ट का उपयोगी उत्पादों में प्रयोग

सामुदायिक उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र

केन्द्र सरकार की एक परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश की लघु श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों के समूह से उत्पन्न उच्छिष्ठ के उपचार हेतु सामुदायिक उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र लगाने के लिए कुल लागत की पचास प्रतिशत (अधिकतम पचास लाख रूपये की) सहायता (पच्चीस

प्रतिशत केन्द्र एवं पच्चीस प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा) अनुदान के रूप में प्रदान किये जाने की व्यवस्था कियान्वित की गई।

1– राज्य के पाली जिले में तीन सामुदायिक उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र कार्यरत हैं । इनमें से दो क्रमशः 11.5 एवं 15 लाख गैलन प्रतिदिन क्षमता के मण्डिया रोड पर एवं एक 20 लाख गैलन प्रतिदिन क्षमता का पुनायता रोड पर स्थित है । सभी तीन संयंत्रों में पाली स्थित वस्त्र प्रसंस्करण इकाइयों से प्रवाहित प्रदूषित जल व पाली नगर से प्रवाहित सीवेज का उपचार होता है ।

2– बालोतरा स्थित वस्त्र प्रसंस्करण उद्योगों से प्रवाहित औद्योगिक उच्छिष्ठ के उपचार हेतु 60 लाख लिटर प्रतिदिन क्षमता के एक सामुदायिक उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र का निर्माण प्रगति पर है ।

3– जोधपुर स्थित उद्योगों से प्रवाहित प्रदूषित जल के उपचार हेतु एक सामुदायिक उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु एक ट्रस्ट की स्थापना की गई है एवं रीको द्वारा ट्रस्ट को संयंत्र के निर्माण हेतु भूमि आवंटित की जा चुकी है ।

जनसुनवाई

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिनांक 10.4.97 को जारी अधिसूचना के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित प्रस्तावित उद्योगों/ परियोजनाओं के संदर्भ में जन–सुनवाई का आयोजन किया गया :–

1– हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि0, नई दिल्ली

2– कोटा–चित्तोड़ उच्च मार्ग परियोजना, चित्तोड़

3– कोटा–चित्तोड़ उच्च मार्ग परियोजना, भीलवाड़ा

4– मै0 जे0 के0 व्हाइट सीमेंट , गोटन
(कंथारिया खान, चित्तोड़)

5– मै0 जे0 के0 व्हाइट सीमेंट, गोटन
(लारल खान, चित्तोड़)

राज्य मण्डल द्वारा पर्यावरण विभाग,राजस्थान सरकार को निम्नलिखित प्रस्तावित उद्योगोंकी स्थापना के संबंध में सिफारिशें भेजी गई हैं :–

1– मै0 महाराजा पावर प्रोजेक्ट, जोधपुर

2– मै0 गुलजग इण्डस्ट्री, जोधपुर

कानूनी कार्यवाही

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत निर्णीत वादों का विवरण :

क0सं0	शीर्षक	याचिका की प्रकृति	निर्णय
1.	एस0 बी0 सी0ए रिट4714/97 मै0 इमेज क्रीयेशन्स प्रा0 लि0 बनात भारत सरकार	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत मण्डल द्वारा प्रसारित आदेशों को चुनौती दी गई	न्यायालय द्वारा मण्डल के पक्ष में निर्णीत
2.	एस0 बी0 सी0 रिट4715/97 मै0 ओम इण्डस्टीज बनाम भारत सरकार	– वही –	– वही –
3	एस0 बी0 सी0 रिट 4 716/97 मै0 भारत केमिकल्स, जयपुर बनाम भारत सरकार	– वही –	– वही –
4.	एस0 बी0 सी0 रिट 4717/97 मै0 महावीर केमिकल्स, जयपुर बनाम भारत सरकार	– वही –	– वही –
5.	एस0 बी0 सी0 रिट 4718/97 मै0 खण्डेलवाल केमिकल्स, जयपुर बनाम भारत सरकार	– वही –	– वही –

6.	एस0 बी0 सी0 रिट 4719/97 मै0 साहू इण्डस्ट्रीज, जयपुर बनाम भारत सरकार	– वही –	– वही –
7.	एस0 बी0 सी0 रिट 4720/97 मै0 त्रिपाठी इण्डस्ट्रीज, जयपुर बनाम भारत सरकार	– वही –	– वही –
8.	एस0 बी0 सी0 रिट मै0 एस0 एस0 एन्टरप्राईजेज बनाम भारत सरकार	– वही –	– वही –

जल अधिनियम 1974 की धारा 33 के अन्तर्गत दायर किये गये वादों का विवरण:–

क0सं0	उद्योग का नाम	निर्णय
1.	मै0 मोवनी एक्स्ट्रेक्शन प्रा0लि0, उदयपुर	न्यायालय द्वारा उद्योग के विरुद्ध निषेधाज्ञा आदेश पारित
2.	मै0 एडवांस ऑयल इण्डस्ट्रीज, उदयपुर	न्यायालय द्वारा उद्योग के विरुद्ध निषेधाज्ञा आदेश पारित
3.	मै0 महाराजा इंटरनेशनल लि0,बहरोड़ अलवर	न्यायालय द्वारा उद्योग के विरुद्ध निषेधाज्ञा आदेश पारित
4.	मै0केमिकल्स एण्ड क्लोराइड, जयपुर	न्यायालय द्वारा उद्योग के विरुद्ध निषेधाज्ञा आदेश पारित

वायुअधिनियम 1981 की धारा 22 (अ) के अन्तर्गत दायर किये गये वादों का विवरण :–

क0सं0	उद्योग का नाम	निर्णय
1.	मै0 मोवनी एक्स्ट्रेक्शन प्रा0लि0, उदयपुर	न्यायालय द्वारा उद्योग के विरुद्ध निषेधाज्ञा आदेश पारित

मण्डल द्वारा वर्ष 1998–99 के दौरान 30 इकाइयों के विरुद्ध जल अधिनियम 1974 की धारा 33 (अ) एवं वायु अधिनियम की धारा 31 (अ) के अन्तर्गत निर्देश जारी किये गये । जल उपकर अपीलीय समिति द्वारा मैसर्स बिड़ला सीमेंट वर्क्स, चित्तोड़ की तीन अपीलोंका निस्तारण किया गया ।

विविध गतिविधियॅा

मण्डल द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के सहयोग से 'ज़ोनिंग एटलस' परियोजना पर कार्य किया जा रहा है । परियोजना के अन्तर्गत उदयपुर एवं राजसमंद जिलों के ' ज़ोनिंग एटलस ' तैयार करवाये जा चुके हैं । अलवर एवं कोटा जिलों के ज़ोनिंग एटलस का कार्य जारी है।

मण्डल द्वारा केन्द्रीय सरकार की सहायता से प्रारम्भ की गई एक परियोजना के अन्तर्गत राज्य के चुनिंदा स्थानों पर परिवेशीय वायु की गुणवत्ता की मोनिटरिंग का कार्य किया जा रहा है ।

मण्डल द्वारा केन्द्रीय सरकार की सहायता से प्रारम्भ की गई एक अन्य परियोजना के तहत राज्य के चुनिंदा स्थानों पर सतही एवं भूगर्भीय जल स्त्रोतों के जल की गुणवत्ता के आकलन के लिए नियमित रूप से जल के नमूनों का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण किया जा रहा है ।

वित्त एवं लेखे

वर्ष 1998–99 के दौरान मण्डल की आय एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है ।

आय		व्यय	
विवरण	आय (लाख रुपये)	विवरण	व्यय (लाखरुपये)
1– केन्द्रीय प्र0नि0मण्डल से प्राप्त अनुदान	18.49	1– वेतन एवं अन्य स्थापना व्यय	258.68
2– राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान	150.85	2– कार्यालय व्यय	39.04
3– जल उपकर	384.89	3– प्रयोगशाला व्यय	1.08
4– सम्मति शुल्क	84.87	4– विज्ञापन एवं प्रकाशन	1.58
5– बैंक से ब्याज	4.14	5– अनुसंधान एवं विकास	31.44
6– पी0डी0खाते से ब्याज	8.12	6– ऋण एवं अग्रिम	10.11
7– अग्रिमों से ब्याज	0.17	7– पूंजीगत व्यय	15.35
8– विविध आय	4.05		
9– वसूली	2.66		
योग	658.24	योग	357.28

वर्ष के दौरान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने जल उपकर अधिनियम 1977 के अन्तर्गत 413.83 लाख रूपये एकत्रित किये एवं 376.48 लाख रूपये केन्द्रीय सरकार को भिजवाये । केन्द्र सरकार की जल उपकर पुनर्भरण योजना के अन्तर्गत मण्डल को केन्द्र सरकार से 384.89 लाख रूपये का पुनर्भरण प्राप्त हुआ ।